<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u>

(वित्त विभाग)

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें - बाल शिक्षा भत्ता प्रदान करने से संबन्धित निर्णय का कार्यान्वयन

कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. A-27012/02/2017-estt. (AL) **दिनांक** 16.08.2017 **के अनुसार, बाल शिक्षा भत्ता (**CEA) **की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद एक वर्ष में एक बार की जाती है । उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, बच्चों की प्रतिपूर्ति शिक्षा भत्ता (सीईए) अप्रैल** 2019 **माह में किया जाना है । तदनुसार, अप्रैल** 2019 **के महीने में बाल शिक्षा भत्ता (**CEA) **की प्रतिपूर्ति सक्षम करने के लिए, वित्त विभाग को निंनलिखित आवश्यक है:**

(क) सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ शाखा कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान/ प्रयोगशालाओं में सभी संबंधित कर्मचारियों को 12 मार्च 2019 तक उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ शाखा कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान/ प्रयोगशालाओं में अपने प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । तत्पशात क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान/ प्रयोगशालाओं के उप निदेशक (प्रशासन एंवम वित्त)/सहायक निदेशक (प्रशासन एंवम वित्त)/अनुभाग अधिकारी द्वारा जांच के बाद और क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान/प्रयोगशालाओं के उप महानिदेशक/प्रमुख द्वारा प्राधिकरण(authorization) **के बाद, एक समेकित/संयुक्त सूची (प्रत्येक कर्मचारी के नाम और राशि के साथ), 16 मार्च 2019 तक निश्चित रूप से वित्त विभाग को भेजी जाये ।**

(ख) मुख्यालय और मध्य क्षेत्रीय कार्यालय के सभी संबंधित कर्मचारी 16 **मार्च 2019 तक वित्त विभाग को अपने प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर दें ।**

Consequent upon applicability of Office memorandum No. A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16.08.2017 of Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, P.G&Pension, the Children Education Allowance (CEA) is reimbursable once in a year after the completion of financial year. In accordance with the same, the reimbursement of CEA will be made in the month of April 2019. In order to enable Finance Department to reimburse CEA in the month of April 2019, the following is required:

(a) All concerned employees at ROs/BOs/NITS/Labs should submit their relevant documents to their respective ROs/BOs/NITS/Labs by 12th March 2019 and after scrutiny by the DD(A&F)/AD(A&F)/SO of the RO/BO/Labs/NITS and authorization by the DDG/Heads of the ROs/BOs/Lab/NITS, the consolidated list with amount against each concerned employee, may be sent to Finance Department by 16th March 2019 positively.

(b) (b) All concerned employees at HQ including CRO, should submit their relevant documents to Finance Department by 16th March 2019.

(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक वित्त

हमारा सन्दर्भ: वित्त/2:24
दिनांक: **19** फरवरी 2019

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- **सभी क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान / केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख**
- **मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख**
- **भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एंवम कर्मचारी**

प्रतिलिपि - जानकारी के लिए

- **निजी सचिव (महानिदेशक) - महानिदेशक की जानकारी के लिए**
- **अपर महानिदेशक / मुख्य सतर्कता अधिकारी / सभी उप महानिदेशक**

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए